(49)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/4925 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.09.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 94/अपील/2016-17.

सुखदेव आ. काशीराम किरार
निवासी ग्राम सातनेर तह. आठनेर
जिला बैतूल, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. रेणुका बेबा प्रमोद
2. जीवन आ. प्रमोद
3. पुरूषोत्तम आ. प्रमोद
4. संदीप आ. प्रमोद

समस्त निवासी ग्राम सातनेर
तह. आठनेर जिला बैतूल, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री मोहनसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री यशवंत साहू, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा उसके स्वत्व एवं हक की ग्राम सातनेर स्थित भूमि पटवारी हल्का नं. 51 खसरा नंबर 310/3, 313/4, 315/1 एवं 316 कुल जुमला रकबा 2.899 हैक्टेयर भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज भूमि खसरा नं. 313/3 से लगी हुई है। उक्त भूमि पर से अनावेदकगण की भूमि खसरा नं. 313/4 एवं 314 खसरे की भूमि के लिए आने-जाने के मार्ग में आवेदक के द्वारा बागुड कर मार्ग अवरूद्ध किया गया, जिसको हटाये जाने के संबंध में आवेदन तहसीलदार, आठनेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ-13/2010-11 दर्ज कर दिनांक 16.08.2012 को अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश मानते हुए आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, भैंसदेही के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.12.2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11.09.2017 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष लिखित तर्क में यह उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार द्वारा स्थल पर जाकर बाधा को नहीं हटाया गया। उक्त कृत्य राजस्व निरीक्षक के द्वारा किया गया है, जबकि धारा 131 के तहत बाधा हटाने का कार्य मौके पर तहसीलदार को 133 के तहत किया जाना विधिपूर्ण था, किन्तु उक्त विधि की अनदेखी करते हुए तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश के रूप में मानते हुए आदेश पारित किये, जो विधि की गंभीर भूल के कारण निरस्त किये जाने योग्य था।

(2) तहसीलदार के द्वारा अंतरिम आदेश के संबंध में कोई भी विधिसंगत जानकारी आवेदक को नहीं दी गई, इसलिए आवेदक द्वारा निश्चित समयावधि के अंदर अंतिम आदेश के विरूद्ध चुनौती देने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर सका। इसलिए भी पक्षकार की अज्ञानता का कोई भी विधि विरूद्ध फायदा किसी भी पक्ष को दिया जाना विधिसंगत नहीं है। इस कारण भी तहसीलदार का आदेश प्रथम एवं द्वितीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पुष्टिकरण विधि की मंशा के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने अपीलीय आदेश में मात्र स्थगन आदेश दिनांक 19.12.2012 के संबंध में आदेश पत्रिका में उल्लेख न करने के आधार पर गंभीर त्रुटि मानते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किये गये, किन्तु उक्त आदेश में कहीं भी निम्न न्यायालय का विश्लेषण का उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 24.12.2013 विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश की अंतिम पैरा की कंडिका 3 एवं 4 में तहसीलदार के द्वारा अंतरिम आदेश के पूर्व सुने जाने का उभय पक्षों का उल्लेख किया गया है, जबकि वास्तविकता में अंतरिम आदेश का क्रियान्वयन मौके पर जाकर तहसीलदार को किया जाना विधि के अनुरूप था, किन्तु उक्त विधि की अनदेखी करते हुए आवेदक की अपील निरस्त की गई, जो विधि की मंशा के विपरीत होने से अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 11.09.2017 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक द्वारा फसल बोकर एवं कटीली झाडियॉ लगाकर रास्ते को अवरूद्ध किया है जिसका तहसीलदार द्वारा मौका जॉच एवं पटवारी पंचनामा कराया जाकर तथा साक्ष्य ली जाकर व साक्ष्य का स्वतंत्र परीक्षण किया गया है । आवेदक की यह आपत्ति सही नहीं है कि तहसील न्यायालय ने अंतरिम आदेश को ही अंतिम आदेश मानते हुये आदेश पारित किया है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश स्थिर रखने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, अत: इस संबंध तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप

योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-9-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर